न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 **जनपद – कानपुर देहात।**
सत्र वाद संख्या- 1802/2024

राज्य	**बनाम**	राहुल आदि

नाम साक्षीः **डा० अवधेश कुमार गुप्ता पुत्र जयकिशुन**	**अपराध संख्या-17/2024**
उम्रः लगभग 51 वर्ष, **पेशाः चिकित्सक**	**धारा-498A, 304B IPC & 3/4 D.P. ACT**
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः **जिला महिला चिकित्सालय,** **जनपद-कानपुर देहात**	**थाना-अमराहट, कानपुर देहात।**

<u>दिनांकः-18.03.2026</u>

मैं **साक्षीः डा० अवधेश कुमार गुप्ता पुत्र जयकिशुन, उम्रः लगभग 51 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः जिला महिला चिकित्सालय, जनपद-कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि........

1. दिनांक 29.04.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस अकबरपुर कानपुर देहात में थी। उसी दिन मृतका पूजा बाथम पत्नी राहुल, निवासिनी-पढ़ीन दरवाजा , थाना व जिला-औरैया, उम्र करीब 30 वर्ष के शव को आरक्षी अभिषेक कुमार व महिला आरक्षी अर्चना थाना अमराहट पोस्टमार्टम हेतु मेरे पास पोस्टमार्टम हाउस समय 04:00 PM पर लेकर आये थे।

2. मृतका के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही पैनल द्वारा की गयी थी। पोस्टमार्टम की कार्यवाही में पैनल में मेरे साथ डा० राहुल पाण्डेय भी रहे थे। हमदोनों ने साथ में ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरु की थी।

---

3. मृतका की लम्बाई 159 से०मी० थी। कद-काठी औसत था। मृतका के शरीर पर एक कुर्ता, सलवार, पैंटी व ब्रा, पैर में धागा, मोतियों की माला जिसमें पीली धातु का पैंडल पड़ा हुआ था, तोड़िया, नाक की कील, दो अंगूठियाँ मौजूद थीं। पी०एम० स्टेनिंग शरीर के पिछले हिस्से में मौजूद थी। शरीर से अकड़न पास हो चुकी थी। मृतका की दोनों आँखें सूजी हुईं व बंद थीं। मृतका का मुँह अधखुला था। EXTERNAL GENERAL APPEARANCE- GREENISH BLACK DISCOLOURATION OF FACE AND NECK, GREENISH BLACK STREAKS ALL OVER CHEST AND INCLUDING TRUNK AND THIGH.

3. **<u>मृत्यु पूर्व चोटेंः-</u>**

(I) एक फटा हुआ नीलगू घाव 3 X 2 CM माथे के बायीं तरफ मौजूद था।

(II) खरोंच 1 X 5 X 1 CM मुँह के बायीं तरफ ऊपरी होंठ के एंगल पर मौजूद थी।

(III) MULTIPLE ABRASION OF SIZE 3.5 X 3 CM ON LEFT WRIST JOINT.

(IV) ABRADED CONTUSION OF SIZE 2.5 X 1.5 CM ON BACK OF RIGHT HAND.

(V) LINEAR ABRASION OF SIZE 3 X 0.5 CM JUST BELOW THE CHIN.

(VI) LIGATURE MARK PRESENT IN THE NECK CIRCUMFERENCE 32 CM. GAP NOT PRESENT.
WIDTH- 3.2 CM BELOW THYROID CARTILAGE.

DISTANCE OF LIGATURE MARK- RIGHT TRAGUS से 8 से०मी०।
LEFT TRAGUS से 8 से०मी० व ठुड्डी से सात से०मी० नीचे मौजूद था। LIGATURE MARK ECCHYMOSED REDDISH BROWN IN COLOUR ON PEELING ON SKIN.

4. **आन्तरिक परीक्षणः-**

मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियाँ कंजेस्टेड थीं। दांत 16/16 मौजूद थे। लैंरिंग्स व वोकल कार्ड, ट्रैकिया,दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे। गर्दन के ऊतक कंजेस्टेड व रैप्चर था। ह्रदय का दायाँ चैम्बर भरा हुआ व बायाँ चैम्बर खाली था। आमाशय का वजन 150 ग्राम अधपचा भोजन मौजूद था। छोटी आंत आंशिक गैस से भरी हुई थी। बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद था। यकृत, तिल्ली, अग्न्याशय व दोनों किडनी कंजेस्टेड थीं। पित्ताशय आधा भरा हुआ था। गर्भाशय खाली था।

5. **अभिमतः-**

मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग दो दिन के आसपास की थी। मृतका की मृत्यु ASPHYXIA (दम घुटना) से हुई जिसका कारण STRANGULATION था। मृतका को आयीं चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं। मृतका को आयीं चोटें HARD AND BLUNT OBJECT से आना संभव हैं।

6. मृतका का विसरा सुरक्षित रखा गया था। मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 29.04.2024 को 04:10 PM पर शुरु की थी और उसी दिन 04:45 PM पर समाप्त की गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे व पैनल के डाक्टर राहुल पाण्डेय द्वारा संयुक्त रुप से तैयार की गयी थी। जिस पर डा० राहुल

पाण्डेय के हस्ताक्षर हैं। मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किये थे। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श P-4** अंकित किया गया।

7. शव का पोस्टमार्टम किये जाने के पश्चात मृतका पूजा बाथम का शव, सुरक्षित रखा गया विसरा, इन्क्वेस्ट पेपर व कपड़े, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरक्षी अभिषेक कुमार व महिला आरक्षी अर्चना मौर्या को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे।

8. विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा

9. मृतका का शव विच्छेदन हेतु शाम चार बजे प्राप्त हुआ था। शव के साथ पंचनामा एवं उससे संबंधित प्रपत्र भी प्राप्त हुए थे। यह पंचनामा दिनांक 28.04.2024 को समय 11:50 बजे सुबह हुआ था। दिनांक 28.04.2024 समय 11:50 बजे से दिनांक 29.04.2024 तक शव हमारे यहाँ रखा रहा। शव फ्रीजर में रखा था। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि शव कितने बजे फ्रीजर में रखा गया और कितने बजे फ्रीजर से निकाला गया। मेरे सामने जब शव लाया गया वही समय मैं बता सकता हूँ उससे पहले की कार्यवाही के संबंध में मैं नहीं बता सकता हूँ।

10. पंचनामा के प्रपत्रों को जब मेरे सामने लाया गया तब उस पर मृतका के नाम का उल्लेख नहीं था लेकिन जब मैंने पोस्टमार्टम शुरु किया तब मृतका का नाम पता चल गया था। इस समय मैं नहीं बता सकता कि मृतका का नाम-पता किसने बताया था, हो सकता है कि पुलिसवालों ने बताया हो।

11. मृतका के दायें हाथ पर गुदना (टैटू) में “RAHUR” जैसा लिखा हुआ था। उत्तर भारत में अच्छी-खासी गर्मी पड़ रही थी। रिगर मार्टिस पूरे शरीर से निकल गयी थी। जो मैंने मृत्यु का अनुमानित समय बताया है उसमें चार से छह घंटे का

अंतर हो सकता है। मैंने मृतका का विसरा प्रिजर्व किये थे। विसरा इसलिए सुरक्षित रखा था ताकि जहर इत्यादि की संभावना का भी परीक्षण किया जा सके।

12. सामान्य तौर पर गर्मी के महीने में शव के जल्दी सड़ने की संभावना रहती है। शरीर काफी फूला हुआ था। मुँह भी फूला हुआ था। शव ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था। हायड बोन टूटी हुई नहीं थी। लिगेचार मार्क को छोड़कर अन्य चोटें मुँह के बल गिरने से भी आ सकती हैं।

13. यह कहना गलत है कि शव का पोस्टमार्टम करते समय तक उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पायी थी और पुलिसवालों के बताने के आधार पर मैंने मृतका का नाम लिख दिया।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर/लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT